



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 84/2023

किस्म :- प्रार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 12.07.2023

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

—:अनवान:—

1. नर्बदा देवी पत्नि धुलचन्द जी जाति तैली, उम्र तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

— प्रार्थीया

बनाम

2. सुरेश पिता खेमा जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क, निवासी भामाखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रामु पिलर खेमा जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी भामाखेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज.)
4. शंकरी पुत्री खेमा जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी भामाखेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज.)
5. चुनालाल पिता रूपा जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी भामाखेड़ा. तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. तोलीराम पिता जोधा जी जाति खारोल, उम्र वयस्क, निवासी भामाखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....विपक्षीगण

वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 576 रकबा 0.0567 है भूमि ग्राम भामाखेड़ा पटवार हल्का पीपली डोडीयान तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढ़ी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जावे । फिस पत्थरगढ़ी 1000/- रूपये अक्षरे. एक हजाररूपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद